

—इकसठ—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या-क0नि0-5-2036 / 11-2005-500(35) / 2000
लखनऊ दिनांक 09 मई, 2005
अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-6469 / 11- 2002 - 500(35) / 2000 दिनांक 12 नवम्बर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना के अन्त में आये हुए शब्द व अंक “दिनांक 31 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व कर दिया गया हो” के स्थान पर शब्द व अंक “दिनांक 31 मार्च, 2006 या उससे पूर्व कर दिया गया हो तथा यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2006 तक प्रभावी रहेगी” रख दिये जायेंगे और 01 अप्रैल, 2005 से रखे गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अतुल चतुर्वेदी),
प्रमुख सचिव।

संख्या: क0नि0-5-2036 (1) / 11-2003-500(35) / 2000 तददिनांक:

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 9 मई, 2005 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 10 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(अरुण सिंह),
विशेष सचिव।

संख्या: क0नि0-5-2036(1) / 11-2003-500(35) / 2000 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) अपर सचिव, राजस्व परिषद/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि क्रमांक 7 व 8 को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

- (5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा ग्रेटर नोएडा।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, 117/130, सर्वोदय नगर, कानपुर।
- (7) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
- (9) विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- (10) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह),
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-2036/11-2005-500(35)/2000 dated May 09, 2005, for general information.

No. K.N. 5-2036/11-2005-500(35)/2000
Lucknow, Dated May 09, 2005

Notification
Order

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (a) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. K.N. 5-6469/11-2002-500(35)/2000 dated November 12, 2002 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for the words and figures, "on or before March 31, 2003" appearing at the end, the words and figures, "on or before March 31, 2006 and this notification shall remain effective till March 31, 2006" shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from April 01, 2005.

By order,
Sd/-Illegible
(Atul Chaturvedi)

Pramukh Sachiv.